


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कार्ट प्रतापगढ़।  
पत्रांक: 214/23 दि. 04-07-2023  
सूचना/प्रेस विज्ञापित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजना निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं 2010 के अर्न्तगत जनपद एवं तहसील के ऐसे अधिवक्तागण से संलग्न प्रारूप पर दिनांक 17.07.2023 तक प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षों के लिये गठित होने वाले पैनल में शामिल होने के इच्छुक हों। पैनल अधिवक्ताओं को आवंटित किये गये न्यायालय में लम्बित मुकदमों में पैरवी हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा। उल्लेखनीय है कि 03 वर्षों से कम वकालत की अवधि वाले अधिवक्तागण आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

आवेदन पत्र के साथ बार काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं की रंगीन फोटो संलग्न करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के कार्यालय में दिनांक 17.07.2023 को सांय 05.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक: 04.07.2023

  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि—

1. न्यायालय परिसर एवं जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर तथा समस्त तहसील परिसरों के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. कम्प्यूटर अनुभाग को मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपद प्रतापगढ़ की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
प्रतापगढ़।

पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु आवेदन पत्र

1. नाम अधिवक्ता.....
2. पिता का नाम.....
3. स्थायी पता.....
4. वर्तमान पता (वर्तमान में मुख्यालय /  
तहसीलों में बैठने का स्थान सहित).....
5. दूरभाष / मोबाइल नम्बर.....
6. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक (तीन वर्ष  
से कम अवधि वाले आवेदन हेतु पात्र नहीं है)  
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है)
7. शैक्षिक योग्यता:.....
8. वकालत का क्षेत्र जिसमें विधिक  
सेवा देना चाहते हैं दीवानी, फौजदारी,  
राजस्व, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय  
औद्योगिक न्यायाधिकरण आदि।
9. अन्य विवरण यदि हो:

दिनांक:

आवेदक का नाम हस्ताक्षर